शोध मंथन, 2017 ISSN: (P): 0976-5255, (e) : 2454-339X, Impact Factor 3.8942 (ICRJIFR)
UGC Aproved Journal No. 40908

परवरिश का उत्तरदायित्व : एक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य

डॉ अपर्णा जोशी*, डॉ गिरीश चन्द्र पांडेय**

** विभागाध्यक्षा एवं एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, गोकुलदास गर्ल्स पी0जी0 कॉलेज, मुरादाबाद, ** वभागाध्यक्ष एवं एसो0 प्रोफे0,समाजशास्त्र विभाग, के0 जी0 के0 पी 0जी0 कॉलेज, मुरादाबाद*

सारांश

वर्तमान समय में वैश्विक कामकाजी जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत निरंतर बढ़ रहा है । आधुनिकता ,पूंजीवाद तथा उपभोक्तावाद के आगमन के साथ आये बदलावों में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह भी है कि पहले से कहीं अधिक संख्या में महिलाओं ने वैतनिक कार्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है । वैश्वीकरण तथा उपभोक्तावाद के कारण उत्पन्न हुए परिवर्तनों ने परवरिश तथा घरेलू देख –भाल की जिम्मेदारियों को पहले से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है परन्तु इन परवरिश के अवैतनिक घरेलू कार्यों में पुरुषों की सहभागिता का प्रतिशत बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है । आज भी समाज में अवैतनिक घरेलू श्रम को मूल्यहीन एवं निम्न प्रस्थिति का समझा जाता है जबकि इस श्रम के द्वारा महिलाएं परिवारों को सुचारू रूप से चलाने के साथ तथाकथित उत्पादक श्रम के लिए पुरुषों को प्रतिदिन स्वस्थ और प्रसन्नचित रखने में अपना अनथक योगदान करती हैं और उसके उपरांत वैतनिक कार्यों में भी अपनी सक्षमता प्रमाणित कर रही हैं किन्तु देख–भाल एवं परवरिश के उत्तरदायित्व के असमान वितरण से उनकी पहुंच जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय संसाधनों ,सामाजिक संपर्क और खेल आदि तक कम होती है वहीं मातृत्व,परवरिश एवं घरेलू देख–भाल की जिम्मेदारियां व्यावसायिक क्षेत्र में रूकावट और बाधा बन जाती हैं । प्रस्तुत शोध–पत्र पितृसत्तात्मक परिप्रेक्ष में महिलाओं पर अवैतनिक परवरिश और देख–भाल की भूमिका के साथ वैतनिक कार्यों के दोहरे बोझ की स्थिति में परिवर्तन के लिए पुरुषों की सहभागिता , सहभागी –पितृत्व तथा राज्य के हस्तक्षेप का आलोचनात्मक विश्लेषण करने का प्रयास है ।

संकेत–शब्द *– अवैतनिक श्रम ,सहभागी–पितृत्व ,देख–भाल के उत्तरदायित्व, पितृसत्तात्मक विचारधारा*

शोध पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः

डॉ अपर्णा जोशी', डॉ गिरीश चन्द्र पांडेय, ''परवरिश का उत्तरदायित्व : एक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य'', शोध मंथन जुन 2017, पेज सं0 155–160
http://anubooks.com/?page_id=2030
Artcile No.25(SM431)

प्रस्तावना

आधुनिकता, पूंजीवाद तथा उपभोक्तावाद के आगमन के साथ ही पहले से कहीं अधिक संख्या में महिलाओं ने घरेलू भूमिका व घरों की चारदीवारी को छोड़कर वैतनिक कार्यों की ओर रुख किया है । वर्तमान में वैश्विक कामकाजी जनसंख्या का लगभग 40 प्रतिशत महिलाएं हैं, इसके बावजूद वर्ल्ड फादर्स रिपोर्ट 2015 यह संकेत देती है कि आज भी परवरिश एवं देख–भाल जैसे घरेलू अवैतनिक कार्यों में पुरुशों की सहभागिता में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जबकि वैष्वीकरण ओर उपभोक्तावाद के आगमन से हुए सामाजिक परिवर्तनों के कारण परवरिष एवं घरेलू देखभाल संबंधी जिम्मेदारियाँ पहले से कही अधिक महत्वपूर्ण हो गयी हैं , इसके परिणामस्वरूप कामकाजी महिलाएं दोहरी भूमिकाओं में वैतनिक तथा घरेलू अवैतनिक कार्यों का बोझ उठा रही हैं ।

यूनाइटेड नेषन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम ;2013 के अनुसार अवैतनिक देखरेख के कार्य में "घरेलू कार्य (भोजन बनाना, सफाई, कपड़ों की धुलाई, पानी एवं ईंधन की व्यवस्था करना, परिवार के सदस्यों की प्रत्यक्ष देखभाल) जिसमे बच्चे, वृद्ध, दिव्यांग, एवं स्वस्थ वयस्क शामिल हैं, महिलाओं की जिम्मेदारी है तथा जिसके प्रतिकर में समुदाय/समाज द्वारा कोई वित्तीय प्रतिदान नहीं किया जाता । रिपोर्ट के अनुसार महिलाएं पुरुषों की तुलना में 2.5 गुना अधिक अवैतनिक कार्य करती हैं, जबकि भारतीय महिलाएं पुरुषों से 10 गुना अधिक अवैतनिक कार्य करती हैं । पितृसत्तात्मक विचारधारा का तर्क है कि पुरुष घर के बाहर आर्थिक गतिविधियों में उतने ही घंटे वैतनिक श्रम करते हैं जितने घंटे महिलाएं घरेलू अवैतनिक कार्य में श्रम करती हैं । दोनों ही परिवार के लिए अपने – अपने श्रम से योगदान करते हैं तो यह बहस ही निरर्थक है किन्तु सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंतर दोनों की श्रम गतिविधियों में यह है कि अवैतनिक श्रम को समाज में अधिक महत्व एवं सामाजिक मूल्य दिया जाता है तथा अवैतनिक श्रम को मूल्यहीन तथा निम्न प्रस्थिति का समझा जाता है । इसी कारण 14–16 घण्टे घरेलू श्रम व देखभाल का कार्य करने वाली महिलाएं यह पूछने पर कि वे क्या करती हैं? उत्तर देती हैं कि वे कुछ नहीं करती, जबकि अपनी पारिवारिक भूमिकाओं, परवरिश एवं देखभाल की जिम्मेदारियों के कारण इन्हीं महिलाओं की पहुँच शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक संपर्क, खेल एवं वित्तीय संसाधनों तक हो ही नहीं पाती । ये परिस्थितियाँ महिलाओं को घरेलू जिम्मेदारियों के बोझ के कारण व्यावसायिक क्षेत्र से पीछे खींचती हैं तथा इन्ही कारणों से उन्हें आय तथा अन्य असमानताओं / विशमताओं का सामना करना पड़ता है, जबकि ये ही परिस्थितियाँ पुरुषों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक अनुकूलता में परिवर्तित होती है, क्योंकि उनके ऊपर घरेलू कार्यों, परवरिश व देखभाल संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी नहीं होती । "अवैतनिक देखभाल के कार्यों का महिला और पुरुषों के बीच असमान वितरण महिला अधिकारों के उल्लंघन का प्रतिनिधित्व करता है तथा उनके आर्थिक सशक्तिकरण में भी विराम लगाता है" ;(यू एन2013) । अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन;(2016) द्वारा अटठाइस देशों में किये गए एक अध्ययन के निष्कर्ष से ज्ञात हुआ है कि बच्चों के जन्म के उपरांत 30– 39 वर्श आयु वर्ग की 88 प्रतिशत महिलाओं ने अपनी आय में गिरावट

महसूस की अथवा काम करने के अवसर में कमी का उल्लेख किया । इक्कीस विकासशील देशों में महिलाओं पर औसतन 42 प्रतिशत मातृत्व क्षति का आकलन किया गया है;(एग्वेरो तथा अन्य 2011) । निष्कर्षतः वास्तविक लैंगिक समानता तब तक संभव नहीं हो सकती जब तक घरेलू कार्यों , परवरिश तथा देखभाल की भूमिकाओं के निर्वहन में जिम्मेदारी की असमानता रहेगी , इस असमानता को पुरुष पहल करके परवरिश व देखभाल की जिम्मेदारी (बच्चों, बुजुर्गों, वयस्कों व दिव्यांगों) में अपनी समान सहभागिता सुनिश्चित कर कम सकते हैं । 'सहभागी पितृत्व' के द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य एवं आर्थिक लाभ राष्ट्रीय एवं पारिवारिक स्तर पर दिखाई देते हैं ।

विभिन्न अध्ययनों ओल्ड्स,सड्लेर तथा अन्य (2013) से ज्ञात होता है कि पुरुषों की पारिवारिक सहभागिता के अनेक सकारात्मक परिणाम देखे गए हैं, जैसे प्रसव के उपरांत माँ के स्वास्थ्य लाभ की दर में वृद्धि तथा प्रसवोत्तर अवसाद में कमी आना । "परवरिश के तरीकों में हस्तक्षेप स्वस्थ बच्चों, स्वस्थ परिवारों और स्वस्थ समाजों के लिए काफी प्रतिबद्धता रखता है, यहाँ तक कि ये व्यापक रूप से मानव कल्याण के सामाजिक, भौतिक तथा मानसिक आयामों को प्रभावित करता है ", ,पैन्टर–ब्रिक तथा लैकमन;(2013)। इसके अतिरिक्त परवरिष और देखभाल में सहभागिता रखने वाले पिता का भावनात्मक संवाद व लगाव बच्चों व जीवनसाथी से सक्षम होने के कारण उनके पत्नी या बच्चों के साथ हिंसक व्यवहार की सम्भावना भी कम हो जाती है ।यह सहभागिता पूर्ण परिवर्तन महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के अंर्तपीढ़ी चक्र को तोड़ने में सहायक होता है क्योंकि अगली पीढ़ी के पुरुष सदस्य पिता के हिंसक व्यव्हार को देखकर व अनुभव करते हुए बड़े नहीं होते ।

"परवरिश के नवीन तरीकों से पुरुशत्व तथा नारीत्व के समकालीन सामाजिक निर्माण में अन्तर्निहित उच्चता–निम्नता के अनुक्रम सम्बन्ध में बदलाव आने की संभावना है" ,मेगारजिया (2012) । 'सहभागी पितृत्व' के अन्य सकारात्मक परिणामों में पुरुश एवं महिला दोनों के मानसिक एवं प्रजननात्मक स्वास्थ्य में सुधार, जीवनसाथियों के बीच बेहतर संवाद एवं सम्बन्ध तथा बच्चे के संज्ञानात्मक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव सम्मिलित है । एक अनुमान के अनुसार अगर अर्थव्यवस्था का उदाहरण लें तो सभी भारतीय महिलाओं के घर से बाहर कार्य करने पर भारत का सकल राष्ट्रीय उत्पाद 1.7 लाख डॉलर अधिक होगा । "सहभागी पितृत्व" के इतने सकारात्मक एवं सशक्त परिणाम होने के बावजूद भी ये समाज में नियम न होकर अपवाद के तौर पर पाया जाता है और इसके विभिन्न कारणों में प्रमुख है पितृत्व के उपयुक्त भूमिका आदर्ष प्रारूपों का समाज में अभाव होना क्योंकि अधिकांश नयी पीढ़ी के पुरुष स्वयं के पिता को इस भूमिका के लिए आदर्ष नहीं पाते (कैरी 1996)। वे किसी एक व्यक्ति को अपना आदर्श न मान कर अपने आदर्श प्रारुप का निर्माण स्वयं करते हैं जिससे उनकी संतानों के समक्ष उनके समान भूमिका संघर्ष तथा असमंजस की स्थिति उत्पन्न न हो । इसके व्यापक क्रियान्वन में मुख्य बाधाएं निम्न हैं :

अधिकांश सामाजिक मानदंड इस विचार को पुष्ट एवं सुदृढ़ करते हैं कि परवरिश एवं

देखरेख की जिम्मेदारी प्राकृतिक रूप से महिलाओं के हिस्से में आती है । आर्थिक एवं कार्य क्षेत्र की वास्तविकताएं घरेलू निर्णयो को प्रभावित करती हैं तथा पारम्परिक श्रम विभाजन को सुदृढ़ करती हैं स राज्य की नीतियां भी परवरिश तथा देखरेख की जिम्मेदारियों का असमान वितरण करती है तथा इस आधार पर राज्य इन जिम्मेदारियों के लिए संरचनात्मक ढांचे में परिवर्तन पर विशेष ध्यान नहीं देता । मातष्त्व लाभ संशोधन अधिनियम (;2017) के प्रावधान सरकारी क्षेत्र में स्थाई पदों पर कार्यरत महिलाओं के लिए सकारात्मक हो सकते हैं लेकिन इसके आर्थिक भार को दृष्टिगत रखते हुए यह कहना अभी कठिन है कि इसके प्रभाव निजी तथा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं पर क्या होंगे । एक सम्भावना यह हो सकती है कि प्रजनन आयु वर्ग में आने वाली महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर कम हो जायें क्योंकि नियोक्ता मातृत्व अवकाश के बोझ का आकलन महिलाओं को नियुक्त करने के पहले ही कर लेंगे और इस आर्थिक भार को अपने संगठन पर नहीं डालना चाहेंगे । पितृत्व अवकाश के लाभों का अभी मूल्यांकन होना शेष है कि इस अवकाश का वास्तविक उपयोग किस प्रकार किया जायेगा क्योंकि अधिकांश भारतीय पुरुष मानते हैं कि शिशु को स्नान करवाना, डायपर बदलना और भोजन करवाना माँ की जिम्मेदारी है । दूसरी ओर अधिकांश महिलाएं यह स्वीकार करती हैं "घर ही पारम्परिक रूप से एकमात्र स्थान है, जहाँ वे अपनी विशेषज्ञता के कारण कुछ शक्ति व सत्ता का अनुभव करती है ३ और इसी कारण इस भूमिका को छोड़ने की अनिच्छुक हैं स परवरिश और देखभाल की जिम्मेदारी से पुरुषों को अलग रखने से लैंगिक भूमिकाओं का पुनर्बलन होने के साथ–साथ पुरूषों में इन जिम्मेदारियों के प्रति अलगाव भी उत्पन्न होता है"(दुसे 2006)।

इन संस्थापित सामाजिक मानकों के कारण यथास्थिति में एकाएक परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन परवरिश एवं देखभाल सम्बंधित भूमिकाओं में पुरुषों की भूमिका को सार्वजनिक एवं नीतिगत बहस के केंद्र में लाकर एक पहल अवष्य की जा सकती है । नीतिगत परिवर्तनों के अंतर्गत पुरुषों की पितृ सुलभ पैतृक जिम्मेदारियों के प्रति महिलाओं की मातृत्व संबंधी जिम्मेदारियों के समान नीति निर्धारित की जाये । इसके लिए निम्न नीतिगत परिवर्तनों की आवश्यकता होगी । पितृत्व अवकाश के अतिरिक्त भावी पिताओं के लिए मातृ एवं शिशु देखभाल के प्रशिक्षण का प्रबंध इस कार्य के प्रति सकारात्मक दृश्टिकोण विकसित करने में सहायक होगा।

इस प्रकार समाज की विचारधारा में परिवर्तन लाने के लिए नीति परिवर्तन एक सकारात्मक पहल होगी, परंतु यह सरल नहीं है । समाजीकरण की प्रक्रिया जिसमें महिलाएं निर्णायक भूमिका में रहती हैं उसमें सामाजिक अभियांत्रिकी द्वारा लैंगिक भूमिकाओं तथा कार्य विभाजन में परिवर्तन की पहल कर के इन के प्रति व्याप्त नकारात्मक मूल्य में बदलाव लाया जा सकता है। व्यक्तिगत सम्बन्ध एवं मानवीय संसांधन प्रबंधन दो क्षेत्र हैं जहाँ महिलाओं की विशषज्ञता एवं वर्चस्व समाज में दिखाई देता है, लेकिन विसंगति यह है कि फिर भी महिलाएं मानवीय संसाधन विभाग की प्रमुख बनकर समाज के बदलाव का नेतृत्व करती नहीं दिखाई देती क्योंकि विभाग का नेतष्त्व करते समय उनका दृष्टिकोण लैंगिक समानता का नहीं अपितु अपने संगठन के आर्थिक हितों की रक्षा पर अधिक केन्द्रित होता है। यद्यपि पितष्त्व अवकाष से

महिलाओं को सहायता एवं लाभ मिलता है, परंतु महिला बहुल कार्य क्षेत्रों एवं महिला नेतृत्व वाले क्षेत्रों ने भी अभी तक पितृत्व अवकाश पर अपनी नीतियों का खुलासा नहीं किया है । दूसरी ओर, यदि ये संगठन कर भी लें तो भारतीय समाज के बहुसंख्यक पिताओं पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वे असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं तथा परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें लंबे समय तक परिवार को छोड़कर काम की खोज में जाना पड़ता है । अतः इस श्रेणी के पिताओं की शिशु पालन पोषण में भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जा सकती है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। यह अब समाज और राज्य को तय करना कि "या तो वे महिलाओं और पुरुषों की क्षमताओं तथा विकल्पों को विस्तृत करें अथवा महिलाओं को नारीत्व एवं मातृत्व से जुड़ी भूमिकाओं तक सीमित रखें" (रजवी 2007) ।

वर्तमान नगरीय जीवनशैली में पिता अपने बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय व्यतीत कर पाने में असमर्थ हैं, क्योंकि भौतिक आवश्यकताएं पूर्ति का दबाव मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से कही अधिक है । अतः अधिक आर्थिक उपार्जन के कारण भावनात्मक जुड़ाव का समय ही नहीं बचता। परिणामतः कुछ पिता अपराधबोध एवं डर भी अनुभव करते हैं कि वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक एवं उपभोक्तावादी वातावरण में किस प्रकार अपनी भावी पीढ़ी को मानवीय गुण दे पाएंगे ।

पारंपरिक सूझ–बूझ व ज्ञान को आज आदिम व व्यर्थ समझकर नकार दिया जाता है, जिसमे शिशुओं का पालन पोषण मात्र जैविकीय माता–पिता का उत्तरदायित्व न होकर सामुदायिक जिम्मेदारी थी । लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में भी पालन पोषण की जिम्मेदारी के लिए सामुदायिक संरचनात्मक सहयोग लैंगिक समानता स्थापित करने में एक सार्थक पहल हो सकती है ।

References

1. Aguero, J.M., M.Marks and N.Raykar (2011) *Do children reduce their mothers earnings? Evidence from developing countries.* ***Indian Statistical Institute paper,*** *available at* ***http://www.isid.ac,in***

2. Doucet , A.2006 .Do men mother? Fathering care and domestic responsibility. Toronto: University of Toronto Press.

3. I.L.O., 2016. Women at work-Trends 2016. Pages:48-56 , Geneva:

4. Kerry,D.(1993) *Reshaping fatherhood:Finding the models.****vol.14, issue 4 Journal of Family Issues.***

5. Magaraggia, S.(2012) *Tensions between fatherhood and social construction of masculinity in Italy.****Current Sociology,vol.61, issue1,76-92.***

6. Olds, D.L., L.Saddler and H.Kitzman (2007) *Programmes for parents of infants & toddlers: Recent evidence from randamized trials.* ***Journal of Child Psychology & Psychiatry, 48, 355-391***

7. Panter-Brick, C., A.Burgess andJ.F.Leckman (2014) *Practitioners review engaging fathers-Rcommendations for a game change in parenting incentives based on asystematic review of the global evidence.* ***Journal of Child Psycology & Psychiatry & allied Disciplines, 55(11) 1187-1212.***

8. Razavi, S. (2007) *The political and social economy of care in a development context, conceptual issues, research questions and policy options****, Gender and Development Programme, Paper3, UNSRID, Geneva.***

9. UNDP, 2013. Report of Spelveda Carmona-The special report on extreme poverty and human rights:Unpaid carework and women's human rights. Geneva.

10. Walker, P. (2015) *Fathers need support to spend more time on children and chores.* ***Report Guardian, 16 June2015https://www.theguardian.com.***